कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल देहरादून
तपोवन रोड निकट दूरदर्शन केन्द्र रायपुर रोड देहरादून।
फोन / फैक्स : 0135–2789747

पत्रांक 951 / ग्रा0नि0वि0 / निविदा सूचना– 12 / 2015–2016 दिनांक 8, फरवरी, 2016

–: निविदा सूचना :–

उत्तराखण्ड राज्यपाल महोदय की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न कार्यों की सीलबन्द निविदा सडक निर्माण कार्यों हेतु विभाग में निम्न तालिका के कॉलम 6 के अनुसार पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 23.02.2016 को अपरान्ह 2.30 बजे तक कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल देहरादून में आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन सांय 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा उपस्थित ठेकेदारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरी / अधिकृत कमेटी की उपस्थिति में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दि0 22.02.2016 तक किसी भी कार्य दिवस में सांय 4.00 बजे तक निर्धारित शुल्क जमा करा कर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल देहरादून से प्राप्त किये जा सकते है।

क0 सं0	कार्य का नाम	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य टी0टी0	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार हेतु श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1	विकासखण्ड चिन्यालीसौड में धरासू बैण्ड–ब्रहमखाल कि0मी0 5 में फैडी से ग्राम पंचायत कौड तक चैनेज 0/40 से 1/20 तक मोटर मार्ग निर्माण।	84,000.00	2000.00 + 13.5%TT	6 माह	"बी" एवं उच्च श्रेणी।
2	विकासखण्ड चिन्यालीसौड में धरासू बैण्ड–ब्रहमखाल कि0मी0 5 में फैडी से ग्राम पंचायत कौड तक चैनेज 2/20 से 2/40 तक मोटर मार्ग निर्माण।	1,10,000.00	2000.00 + 13.5%TT	6 माह	"बी" एवं उच्च श्रेणी।
3	विकासखण्ड पुरोला में गुन्दियाटगांव से छानिका मोल्टाडी होते हुये अन्दुणी तक चैनेज 0/40 से 1/20 तक मोटर मार्ग का निर्माण।	88,000.00	2000.00 + 13.5%TT	6 माह	"बी" एवं उच्च श्रेणी।

–:निविदा की शर्तें:–

1. बिना धरोहर धनराशि की निविदा मान्य नहीं होगी।
2. निविदा हेतु मैनुवल 69 / 70 के समस्त प्राविधान लागू होंगे।
3. निर्माण कार्य से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दिनांक 22.02.2016 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस को प्रखण्ड कार्यालय उत्तरकाशी से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही निविदादाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा डालने से पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर लें।
4. निविदा के साथ ठेकेदार द्वारा उक्त धरोहर धनराशि की एन0एस0सी0 / एफ0डी0आर0 (राष्ट्रीयकृत बैंक) जो कि अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग परिमण्डल देहरादून के नाम बन्धक हो, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदा क्रय करते समय ठेकेदारों द्वारा उक्त बन्धक एन0एस0सी0 / एफ0डी0आर0 को कार्यालय में दिखाना आवश्यक होगा।
6. निविदा की वैद्यता 90 दिन होगी। निविदा दरों की वैधता के लिए निविदा के साथ 100 रू0 का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर 1.00 रू0 का रेवन्यू टिकट पर हस्ताक्षर सहित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. सफल निविदादाता को सूचना मिलने पर एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार जमानत धनराशि अधोहस्ताक्षरी के पदनाम बन्धक रखते हुए अनुबन्ध गठित करने हेतु उपस्थित होना होगा अन्यथा जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. प्राक्कलन की दरों से अत्यधिक कम दरें प्राप्त होने पर शासनादेश सं0 6447 दि0 02.01.2013 के अनुसार Additional performance security जमा करनी होगी।
9. सशर्त एवं अपूर्ण निविदा मान्य नहीं होगी।
10. निविदा खरीदते समय ठेकेदार को अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र प्रतिनिधि द्वारा क्रय करने की स्थिति में क्रय करने से पूर्व निविदा क्रय करने / निविदा डाले जाने का प्राधिकार पत्र, जिसमें प्राधिकृत व्यक्ति का फोटो / हस्ताक्षर नमूना सत्यापित हो, कार्यालय में जमा कराते हुए निविदा प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा।
11. किसी भी विवाद के लिये न्यायालय क्षेत्र देहरादून होगा।
12. निविदा में दी गई दरें प्रतिशत में ही मान्य होगी।
13. डाक द्वारा निविदा मंगाने पर निविदा मूल्य के अतिरिक्त डाक व्यय पृथक से वहन करना होगा विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नही किया जायेगा।
14. सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत ही कार्य सम्पादित करवाया जायेगा। चार माह के अन्तर्गत द्वितीय किस्त / अवशेष धनराशि प्राप्त न होने पर ठेकेदार अनुबन्ध के अन्तिमीकरण हेतु स्वतन्त्र होगा।
15. किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
16. ऐसे ठेकेदार जो पूर्व से विभाग में कार्य कर रहे है और उनके द्वारा अनुबन्ध के समय से डेढ गुना अधिक समय में कार्य पूर्ण नही किया गया है उनको निविदा विक्रय नही की जायेगी।
17. कार्य अनुबन्ध गठित होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को मोटर मार्ग का निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये एल सैक्शन तथा क्रास सैक्शन के अनुसार अधिशासी अभियन्ता / वर्क इन्चार्ज के निर्देशानुसार करना होगा इसी प्रकार क्रास डेनेज, स्कपर हिल साईड कटिंग, रिटेनिंग वाल, कैम्बर तथा हिल साईड ड्रेन निर्धारित मानकों के अनुसार अधिशासी अभियन्ता / वर्क इन्चार्ज के निर्देशानुसार करना होगा।

18. टी०ए०सी० उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के उपरान्त कार्य पर यदि कोई कमी पाई जाती है या कोई वसूली निकाली जाती है तो उस उत्तरदायित्व ठेकेदार को वहन करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर टी०ए०सी० की जांच के उपरान्त ठेकेदार की जमानत की धनराशि वापस जायेगी।

19. यदि शासन द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते है या कार्य को स्थगित किया जाता है तो ठेके को कार्य उसी स्थिति में रोकना पडेगा तथा ठेकेदार किये गये कार्य के लिए ही भुगतान का दावेदार होगा अवशेष कार्य हेतु ठेकेदार का दावा मान्य नही होगा।

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग
परिमण्डल देहरादून

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार ।

प्रतिलिपि– निम्नांकितो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक ग्रामीण सडकें एव ड्रेनेज विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की दिनांक 20.02.2016 से पूर्व सम्बन्धित कार्यो के प्राक्कलन तथा शेडयूल बी निविदा विकय हेतु तैयार करना सुनिश्चित करें।
4. जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
5. कैशियर / नोटिस बोर्ड परिमण्डल कार्यालय देहरादून।

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग
परिमण्डल देहरादून